भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4046

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

गोंडवाना की विरासत का विकास

4046. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गोंडवाना की विरासत, जो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित एक जनजातीय राज्य हुआ करता था, को अपने अधिकार में लेने और उसे पर्यटन के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातियों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों (एसजी)/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, संबंधित योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए अपने "स्वदेश दर्शन (एसडी)" और "तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।
पर्यटन मंत्रालय प्रासंगिक योजना दिशानिर्देशों, प्रासंगिक योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता आदि के अनुरूप राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति देता है। अब तक, राज्य सरकार से निर्धारित प्रारूप में कोई गोंडवाना विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान कराता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में "राजा शंकर कुंवर रघुनाथ शाह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय" का

उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 15.11.2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर किया गया है। बादल भोई संग्रहालय में 2 गैलरी, रानी दुर्गावती और गोंड संग्राम को समर्पित हैं। जबलपुर में "राजा शंकर कुंवर रघुनाथ शाह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय" गोंड वंश के शहीदों को समर्पित है। विस्तृत शोध के पश्चात् 'गोंडवाना के शहीद' नामक एक पुस्तक जिसमें गोंडवाना साम्राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, गोंडवाना जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के विवरण को संकलित किया गया है। ये संग्रहालय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेंगे बल्कि गोंडवाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की झलक भी दिखाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोंडवाना सहित मध्य प्रदेश में जनजातीय पर्यटन परियोजना को भी स्वीकृति दी है, जहां जनजातीय गृह-प्रवासों (होम-स्टे) को बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) सरकार, जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु एक कार्यनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) (जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया । अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक संबंधित मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह उसे सौंपे गए उपायों को क्रियान्वित (लागू) करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच (पहुंच) के माध्यम से संतृप्ति प्रदान करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित करता है और 715 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 264 जिलों के 1,33,929 विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हुए 476 ईएमआरएस क्रियाशील हैं।

मंत्रालय देश में अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों हेतु उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत अनुदान के तहत उनके प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत निधियन राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शुरू की जाने वाली विकास योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

*****